



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 — 2552233

ई — मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/1054

रायपुर, दिनांक 21/04/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

केशकाल वन मंडल, केशकाल
छत्तीसगढ़

विषय:— कोण्डागॉव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक आष्टिक फायबर केबल बिछाने हेतु 0.830 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो इन्फोकॉम, रायपुर छत्तीसगढ़ की उपयोग पर देने बाबद।

— प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Others/16727/2016

संदर्भ:— मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. वि/ 945 दिनांक 22.03.2017

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:

1. वन मंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रकबा 0.830 हे. दर्शाया गया है किन्तु एरिया स्टेटमेंट में गणना अनुसार योग 0.832 हे. होता है, वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।
2. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कलेक्टर, जिला कोण्डागॉव द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी बोरगांव, बहीगांव, माझी आठागांव एवं चिचाडी ग्रामों के अनापत्ति प्रमाण पत्र छूटे हैं।
3. आवेदित वन भूमि / राजस्व वन भूमि अंतर्गत आने वाले ग्रामों में से धनोरा, चारमाटा एवं बटराली ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र छूटे हैं।
4. वेब पर पाया गया कि डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट को Verify नहीं किया गया है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति करने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है। तदनुसार संशोधित प्रस्ताव

तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

विशेष: प्रस्ताव जांच कर सही प्रस्तुत किया करें।

संलग्न:— प्रस्ताव 3 प्रतियों में

(उप-वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.ब.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/1055

रायपुर, दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त, कांकर, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, 4 चौथी मंजील, 401-405, अंबुजा माल, विधान सभा रोड कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नं. 26, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
वर्तमान में किसी भी प्रकार के भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(उप-वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.ब.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़